| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Haryana | 86739 | 89774 | 3.50 |
| 8. | Himachal Pradesh | 7449 | 7473 | 0.32 |
| 9. | Jammu & Kashmir | 10156 | — | — |
| 10. | Karnataka | 211560 | 210175 | —0.65 |
| 11. | Kerala | 74188 | 82266 | 10.89 |
| 12. | Madhya Pradesh* | 64469 | 70050 | 8.67 |
| 13. | Maharashtra | 733374 | 787094 | 7.33 |
| 14. | Manipur | 1817 | 1910 | 5.12 |
| 15. | Meghalaya | 918 | 939 | 2.29 |
| 16. | Nagaland | 472 | 501 | 6.14 |
| 17. | Orissa | 69668 | 71035 | 1.96 |
| 18. | Punjab | 116140 | 128582 | 10.71 |
| 19. | Rajssthan | 82323 | 84180 | 2.26 |
| 20. | Tamil Nadu | 255865 | 266738 | 4.25 |
| 21. | Tripura | 1713 | — | — |
| 22. | Uttar Pradesh | 272563 | 286200 | 5.00 |
| 23. | West Bengal | 330903 | 341388 | 3.17 |
| 24. | A & N Islands | 643 | 639 | —0.62 |
| 25. | Delhi | 129750 | — | — |
| 26. | Pondicherry | 5888 | 6017 | 2.19 |

Q : Quick Estimates P : Provisional

— : Not available * Based on old (1970-71) series

Source : As supplied by Directorates of Economics & Statistics to Central Statistical Organisation.

Note 1 : Owing to differences in source material used the figures for different States/ U.Ts. are not strictly comparable.

Note 2 : The State of Mizoram prepares these estimates at current prices only.

Note 3 : The UTs of Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu and Lakshadweep do not prepare these estimates.

**भारतीय सीमेंट निगम के कारखानों में लाभ और हानि**

1699. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय सीमेंट निगम के अधीन किन-किन स्थानों पर कारखाने चल रहे हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कारखानों का उत्पादन कितना रहा है; और

(ग) लाभ में चल रहे और हानि उठा रहे कारखानों के नाम क्या-क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) से (ग) सी० सी० आई० की विभिन्न इकाइयों के नाम और उनकी अधिष्ठापित क्षमता, वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक इकाई का उत्पादन तथा निवल लाभ/हानि दर्शाने वाला एक अनुपत्र संलग्न है ।

(देखिए परिशिष्ट 165, अनुपत्र संख्या 32)